न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :— 97/2021 ई.रे.
1— प्रतापी पत्नी पूरण गिरी गुसाई निवासी कचुमरा तह. बडीसादडी

——वादीया

बनाम

1— ओमगिरी पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
2— पारसगिरी पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
3— सुका बाई पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
4— सम्पत बाई पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
5— सागर बाई पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
6— गंगा बाई पत्नी स्व. मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
7— भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 209 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :— 31/07/2025

वादीया की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कचुमरा पटवार हल्का कचुमरा की आराजी खसरा नं 875 रकबा 1.6100 हैक्ट. लगानी 30.59 रूपये, आराजी खसरा नं. 880 रकबा 1.6100 हैक्ट. लगानी 30.59 रूपये स्थित हैं । उक्त आराजी के पुराने सेटलमेंट अनुसार आराजी नं. 643 रकबा 7 बिघा 15 बिस्वा, आराजी नं. 648 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा हैं। उक्त आराजी जिसके साबिक आराजी नं. 643 रकबा 7 बिघा 15 बिस्वा, आराजी नं. 648 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा आराजीयात में से 1/9 हक हिस्सा भूमि को वादीया ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति स्व. मोहन गिर पिता काशीगिर गुसाई निवासी कचुमरा से दिनांक 11.09.2007 को जरिये विक्रय राशि 1,20,000/— अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपया में खरीद की, जिसका विधिवत पंजीयन प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति स्व. मोहनगिर पिता काशीगिर गुसाई ने दिनांक 11.9.2007 को वादीया के नाम पर उप पंजीयक बडीसादडी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर विक्रय प्रतिफल की राशि प्राप्त करके उसका पंजीयन वादीया के नाम पर पंजीबद्ध करवाया तथा विक्रय भूमि पर कब्जा मौके स्थल पर वादीया को सिपुर्द किया तभी से वादीया वादग्रस्त आराजीयात में से अपने [illegible] खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही हैं। रजिस्ट्रर्ड बिकाव नामे के आधार से [illegible] पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से खरीद शुदा भूमि अपने नाम [illegible] की कानूनन अधिकारीणी है। यह कि वादीया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में [illegible]/9 हक हिस्से की खरीद शुदा भूमि पर वक्त खरीद से काबिज चली आ रही हैं। [illegible] जिसके कानून की [illegible]कारी नही थी, जिससे वादीया अपनी खरीद शुदा भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा सकी । प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 5 के पिता एवं प्रतिवादी क्रमांक 6 के पति स्व. मोहनगिर पिता काशीगिर गुसाई ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

हिस्से की भूमि में से 1/9 हक हिस्से की भूमि वादीया को सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत विक्रय के माध्यम से अन्तरित की एवं भारतीय पंजीयन अधिनियम के तहत उसका विधिवत पंजीयन वादीया के नाम पर करवाया जिससे प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 6 का उक्त विक्रय भूमि में कोई हक व अधिकार निहित नहीं रहता है जिससे खरदी शुदा भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीया के नाम पर की जाकर वादीया का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में प्रतापी बाई, पारसगिरी, शैतानसिंह के शपथ पत्र पेश हुये। शपथ पत्र पर बयान लेखबद्ध किये गये।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिया जाता है कि मौजा कचुमरा पटवार हल्का कचुमरा की आराजी नं. 875 रकबा 1.6100 हैक्ट., तथा आराजी नं. 880 रकबा 1.6100 हैक्ट. भूमि मे से 1/9 हक हिस्से की खातेदारी वादीया के नाम पर घोषित की जाती है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें । इसी अनुसार अंतिम डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:14 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 97/2021 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट.

1– प्रतापी पत्नी पूरण गिरी गुसाई निवासी कचुमरा तह. बडीसादडी

—वादीया

बनाम

1– ओमगिरी पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
2– पारसगिरी पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
3– सुका बाई पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
4– सम्पत बाई पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
5– सागर बाई पिता मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
6– गंगा बाई पत्नी स्व. मोहन गिरी गुसाई नि. कचुमरा तह. बडीसादडी
7– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा कचुमरा पटवार हल्का कचुमरा की आराजी नं. 875 रकबा 1.6100 हैक्ट., तथा आराजी नं. 880 रकबा 1.6100 हैक्ट. भूमि मे से 1/9 हक हिस्से की खातेदारी वादीया के नाम पर घोषित की जाती है। वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें । इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे ।

इस वाद के खर्चे.....X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।
यह आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/126 दिनांक : 31/07/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:14 IST
Reason: SelfAttested

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि ...रिक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी